माननीय अध्यक्ष महोदय,

हमारी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। विगत 4 वर्षों में हमने मानव संसाधन, सामाजिक, आर्थिक तथा अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में पर्याप्त पूंजीनिवेश किया है तथा अनेकों विकासोन्मुखी जनकल्याणकारी योजनायें लागू की हैं, जिनके दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। अब हमारी रणनीति इन योजनाओं को निर्णायक मुकाम तक पहुँचाने की है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये हमने इस बजट का स्वरूप निर्धारित किया है।

2. हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस योजना में ''इनक्लुसिव ग्रोथ'' को बुनियादी अवधारणा के रूप में अंगीकृत किया गया है। विगत वर्षों में हमने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में मुख्य धारा से वंचित रहे समूहों को इस प्रवाह से जोड़ने के लिये विशेष महत्व दिया है। इस बजट में यही हमारा मूल मंत्र भी है।

3. सितम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा ''मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स'' के अंतर्गत निर्धारित गरीबी एवं भुखमरी मिटाने, सार्वभौमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने, लड़कियों और महिलाओं के प्रति भेद–भाव समाप्त करने, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, मातृ–स्वास्थ्य में सुधार, मलेरिया एवं एड्स जैसी बीमारियों से मुकाबला एवं शुद्ध पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हें हमें 2015 तक प्राप्त करना है। यद्यपि इस दिशा में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी गरीबी घटाने तथा स्वास्थ्य संबंधी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमें निरन्तर सघन प्रयासों से लंबा फासला तय करना है। इस बजट में उपर्युक्त लक्ष्यों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है।

4. विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य है एवं इसके लिये हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुये अत्यंत हर्ष है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में **राज्यों के बजट के समीक्षा प्रतिवेदन में विभिन्न वित्तीय मापदंडों के मूल्यांकन के आधार पर छत्तीसगढ़ को वित्तीय प्रबंधन में देश के सर्वश्रेष्ठ 4 राज्यों की श्रेणी में रखा गया है**। इस श्रेणी में तीन अन्य राज्य हैं, तमिलनाडू, कर्नाटक एवं हरियाणा।

आर्थिक स्थिति

5. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वर्ष 2006–07 के लिये **स्थिर भावों** (1999–2000) पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का आंकलन 44,429 करोड़ है, जो कि वर्ष 2005–06 के 40,707 करोड़ की तुलना में 9.14 प्रतिशत अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र में यह वृद्धि 6.32, द्वितीयक क्षेत्र में 10.16 तथा सेवा क्षेत्र में 10.93 प्रतिशत रही। इस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.6 प्रतिशत रही।

5.1 इसी अवधि में **प्रचलित भावों** पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 59,321 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2005–06 के 50,741 करोड़ की तुलना में 8,880 करोड़ अधिक है। विगत वर्षों की तुलना में प्रदेश की यह वृद्धि अधिक होने का मुख्य कारण अच्छी वर्षा से कृषि उत्पादन एवं मेन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि होना है।

5.2 वर्ष 2006–07 में प्रति व्यक्ति आय 22,605 रुपये है, जो कि वर्ष 2005–06 की प्रति व्यक्ति आय 19,557 रुपए की तुलना में 15.59 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 29,642 रुपये रही है।

5.3 दसवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को पूर्ण हो चुकी हैं। इस योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य 6.10 प्रतिशत के विरूद्ध हमारी औसत उपलब्धि 8.68 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के विरूद्ध औसत उपलब्धि 6.26, उद्योग के क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत के विरूद्ध 14.70 एवं सेवा क्षेत्र में 7 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 7.78 प्रतिशत रही है। इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही।

खाद्य सुरक्षा

6. अत्यावश्यक खाद्य सामग्रियों की दरों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि समग्र विश्व में चिंता का विषय बनी हुई है एवं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब वर्गों पर पड़ता है। जनवरी, 2008 में डावोस में सम्पन्न ''वर्ल्ड इकोनामिक फोरम'' की शिखर बैठक में यह चर्चा का विषय बना रहा एवं विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा विकासशील राष्ट्रों में गरीब परिवारों को इस समस्या से जूझने के लिये ''नगद अनुदान'' देने का सुझाव दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान भारत सरकार के ''राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण'' 2006 (NFHS III) के कुपोषण संबंधी कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। इस अद्यतन सर्वे के अनुसार **राष्ट्रीय स्तर पर 46 प्रतिशत बच्चे तथा 40 प्रतिशत वयस्क कुपोषण के शिकार हैं तथा 60 प्रतिशत गर्भवती महिलायें एवं 80 प्रतिशत बच्चे एनेमिया से ग्रस्त हैं, जबकि शासकीय आंकड़ों के मुताबिक भारत वर्ष में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 28 प्रतिशत है**। कुपोषण की इस स्थिति का सीधा संबंध खाद्य सुरक्षा नीति से है। आंकड़ों के मुताबिक भारत वर्ष में प्रति व्यक्ति, प्रति दिन खाद्यान्न की उपलब्धता 1966 में 420 ग्राम थी एवं 1990 में 500 ग्राम तथा 2006 में 440 ग्राम थी। इस स्थिति में **सर्वाधिक गिरावट 1997 के पश्चात् परिलक्षित हुई है, क्योंकि उसी वर्ष भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में**

संशोधन कर सभी वर्गों के स्थान पर केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था।

6.1 उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है एवं इसी उद्देश्य से हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त बनाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन को याद होगा कि वर्ष 2004 में हमारी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में निजी व्यक्तियों की भागीदारी समाप्त करने एवं ''खाद्य सुरक्षा कोष'' स्थापना जैसे नये कीर्तिमान स्थापित किये थे। वर्ष 2007 में सभी अनुसूचित जाति/जनजाति बी.पी.एल. परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अनुरूप 3 रुपये प्रति किलो चावल वितरण हेतु ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' प्रारम्भ की गई है। इसी योजना का विस्तार करते हुये 1 जनवरी, 2008 से **प्रदेश के लगभग 34 लाख परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चावल उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना हेतु बजट में 771 करोड़ का प्रावधान किया गया है**। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार द्वारा प्रदेश के एपी.एल. चावल कोटा में अप्रत्याशित कटौती के कारण है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूँगा कि यह केवल खाद्य सुरक्षा योजना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलु भी इसके साथ जुड़े हैं।

6.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी तथा सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार सम्पूर्ण जानकारी को कम्प्यूटरीकृत की जाकर आम नागरिकों के लिये वेब साईट के जरिये उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ–साथ राशन सामग्री के वितरण की निगरानी में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कॉल सेंटर एवं जनभागीदारी वेब साईट प्रारम्भ की गई है।

शिक्षा

7. यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास पर आधारित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप शिक्षकों की पूर्ति हेतु विगत 4 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा 55 हजार शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार भवनविहीन शालाओं की समस्या के निदान हेतु विगत वर्षों में 7,363 प्राथमिक, 6,593 पूर्व माध्यमिक, 161 हाई स्कूल तथा 111 हायर सेकेंडरी शाला भवनों का निर्माण किया गया है। इस बजट में 380 प्राथमिक, 223 माध्यमिक, 120 हाई स्कूल तथा 60 उच्चतर माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। **मुझे सदन को यह सूचित करते हुये अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इसके साथ प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला भवनों की शतप्रतिशत, हाई स्कूल भवनों की 80 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों की 91 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी।**

7.1 आठवीं कक्षा के पश्चात् बच्चों की शाला त्याग दर को ध्यान में रखते हुये वर्ष **2008–09 में 312 पूर्व माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल में एवं 218 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन हेतु 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

7.2 इसके अतिरिक्त 350 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किया जाएगा। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान सामग्री एवं प्रयोग शाला उपकरणों हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7.3 प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संस्कृत शालाओं के छात्रों को निःशुल्क सायकल, गणवेश एवं पुस्तक प्रदान करने हेतु 75 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

7.4 शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रायपुर जिले के बलौदा बाजार को नया शिक्षा जिला बनाया जाएगा।

7.5 वर्ष 2008–09 में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के जनकपुर, तमनार, विश्रामपुर, बलरामपुर एवं भानपुरी तथा बेरला, बलौदा एवं हसौद में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 4.20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर का दर्जा दिया जाएगा।

7.6 राज्य में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में 30 नवीन आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक प्रारम्भ किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला बस्तर के विश्रामपुरी में नवीन आई.टी.आई. एवं **पॉलीटेक्निक विहीन जिले दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, जशपुर एवं कोरिया में नवीन पॉलीटेक्निक तथा बिलासपुर में कन्या पॉलीटेक्निक स्थापना हेतु 28 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के प्रत्येक जिले में आई.टी.आई. तथा पॉलीटेक्निक की स्थापना हो जायेगी**। इसके अतिरिक्त 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का ''सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'' के रूप में उन्नयन हेतु नवीन व्यवसाय प्रारम्भ किया जाएगा।

स्वास्थ्य

8. मानव संसाधन विकास में शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक का विशेष महत्व है। विगत 4 वर्षों में हमने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2001 की तुलना में छत्तीसगढ़ की शिशु मृत्यु दर में 12 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार बच्चों में कुपोषण की दर में 2002 की तुलना में 2006 में 9 प्रतिशत की कमी हुई है।

लेकिन अभी भी हम ''मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स'' से काफी दूर हैं, जिसे प्राप्त करने के लिये हमें स्वास्थ्य–सुविधाओं संबंधी गहरी खाइयों को पाटना होगा।

8.1 हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा की कमी को दूर करने के लिये लगातार प्रयास किया गया है एवं राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक संरचना को देखते हुये इस बजट में 30 नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं नवीन जिले नारायणपुर एवं बीजापुर में जिला चिकित्सालय स्थापना हेतु बजट में 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8.2 स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से **वर्ष 2008–09 में 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिये 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सदन को यह जानकर संतुष्टि होगी कि इसके फलस्वरूप प्रदेश के सामुदायिक केन्द्र भवनों की शतप्रतिशत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों की 80 प्रतिशत की पूर्ति हो जाएगी।**

8.3 प्रदेश में नर्सिंग सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कांकेर, कोरिया एवं महासमुंद में नर्सिंग स्कूल तथा जगदलपुर एवं बिलासपुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 6.43 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

8.4 प्रदेश में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा के साथ–साथ हमने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष जोर दिया है। इसी दिशा में वर्ष 2006–07 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जगदलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया था। **वर्ष 2008–09 में रायगढ़ में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 18.15 करोड़ का बजट प्रावधान**

किया गया है। इसके साथ–साथ चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के विस्तार एवं नवीन उपकरण तथा स्कूल ऑफ फिजियोथेरॉपी एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापना हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8.5 प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु प्रायोगिक तौर पर **25 ग्रामों में ''आयुर्वेद ग्राम योजना'' लागू की जाएगी**।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण

9. **प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये आवास उपलब्ध कराने हेतु इस बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है**।

9.1 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आश्रम शालाओं की उपयोगिता को देखते हुये वर्ष 2008–09 में 210 नवीन छात्रावास तथा 110 आश्रम शालायें खोलने एवं वर्तमान में संचालित छात्रावास तथा आश्रम शालाओं में 4,654 सीटों की वृद्धि की जाएगी, जिसके लिये 21.24 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 115 छात्रावास तथा 20 आश्रम भवनों के निर्माण के लिये 55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

9.2 **बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुये छात्रावास एवं आश्रम शालाओं के छात्र–छात्राओं की शिष्यवृत्ति की प्रचलित दर 350 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिमाह की जाएगी एवं इस बाबत् 11.84 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**।

9.3 प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिये जशपुर, गरियाबंद एवं कवर्धा में आश्रम शालायें प्रारम्भ करने हेतु 15.24 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 हजार युवाओं को निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

9.4 परम्परागत रूप से चर्मशिल्प व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिये **''रविदास चर्मशिल्प योजना''** प्रारम्भ की जाएगी।

9.5 रायपुर जिले के पलारी विकासखंड स्थित तेलासीबाड़ा को ''गुरूजी के स्थल'' के रूप में विकसित किया जाएगा।

पेयजल

10. वर्ष 2007–08 के बजट में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में 5 हजार बसाहटों में शुद्ध पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था। **वर्ष 2008–09 में शेष 1 हजार बसाहटों में यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 8.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम एवं बसाहटों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति हो जाएगी।**

10.1 अल्प वृष्टि क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नलकूपों का भू–जल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल समस्या के निराकरण हेतु **''स्पॉट सोर्स योजना''** के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित कर नलकूपों में पॉवर पंप स्थापित करने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.2 ग्रामीण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता समस्या निवारण हेतु 11.15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

10.3 **दुर्ग, राजनांदगांव एवं बिलासपुर नगरों की द्वितीय चरण की जल प्रदाय परियोजना तथा कुम्हारी, खैरागढ़, जामुल, सरायपाली, खरौद एवं नवागढ़ के अधूरे नल जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने हेतु 10.45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**

महिला एवं बाल विकास

11. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को गरम पका हुआ अन्न देने की योजना हेतु इस बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.1 **प्रदेश में 1 हजार आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु इस बजट में 22.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

11.2 **विधवा, परित्यक्ता एवं बेसहारा महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर एवं नारायणपुर में प्रायोगिक तौर पर ''शक्ति स्वरूपा योजना'' प्रारम्भ की जाएगी।**

11.3 विक्षिप्त, वृद्ध एवं असहाय महिलाओं के पुनर्वास हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

समाज कल्याण

12. ''इनक्लुसिव ग्रोथ'' के मूल मंत्र के क्रम में प्रदेश के सेरेब्रल पालसी एवं आर्टीज्म से प्रभावित निःशक्त व्यक्तियों की पहचान तथा उनके उपचार एवं पुनर्वास हेतु 4.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.1 निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रचलित योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है। **उनकी ऋण अदायगी की समस्या के निदान हेतु उन्हें ऋण राशि के 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिये 15 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।**

12.2 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नवीन जिला **नारायणपुर एवं बीजापुर में बौद्धिक मंदता वाले बालक–बालिकाओं तथा दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिये विशेष विद्यालय की स्थापना हेतु 30 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।**

12.3 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत रायपुर में किशोर गृह की स्थापना हेतु 13 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

कृषि

13. अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न की उपलब्धता की कमी से बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुये कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तथा उत्पादन में त्वरित वृद्धि आवश्यक है। माननीय सदस्यों को यह जानकर संतुष्टि होगी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की **सकल घरेलू औसतन कृषि उत्पादन वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तीन गुनी रही। इस बजट में कृषि तथा कृषि संबंधी क्षेत्र के लिये कुल 542.16 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2007–08 की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।**

13.1 वर्ष 2007–08 के बजट में कृषि क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकतायें जैसे – उन्नत बीज, कृषि यंत्र तथा सुनिश्चित सिंचाई की कई नई योजनायें शामिल की गई थीं, जिनका उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुआ है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि ''आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान योजना'' के अंतर्गत 2007–08 में विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रों हेतु अनुदान योजना से शक्तिचलित कृषि यंत्रों के वितरण में 135 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन दोनों योजनाओं हेतु वर्ष 2008–09 के बजट में 8.10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

13.2 फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में रायपुर जिले के पोखरा में ''हाईब्रीड बीज उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र'' की स्थापना की जाएगी।

13.3 **कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नलकूप योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 6 हजार नलकूप के लक्ष्य से आगे बढ़कर वर्ष 2008–09 में लगभग शतप्रतिशत वृद्धि करते हुये 11 हजार का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 22.70 करोड़ का बजट प्रावधान है।** शाकम्बरी योजनांतर्गत वर्ष 2008–09 में नदी–नालों के समीप जहाँ कम गहराई में पानी उपलब्ध है, 5 हजार शेलो ट्यूबवेल का खनन किया जाएगा।

13.4 हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवारों को अब तक लगभग 74 हजार बैल जोड़ी का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। **अब इस योजना का विस्तार करते हुये विशेष पिछड़ी जनजाति के 4 हजार परिवारों को भी शामिल किया जाएगा।** इस बजट में गौवंश एवं बैल जोड़ी वितरण हेतु 46 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.5 प्रदेश के गौवंश की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता लगभग 900 ग्राम प्रतिदिन है, जो कि राष्ट्रीय औसत का लगभग एक चौथाई है। इसमें गुणात्मक वृद्धि हेतु नस्ल सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत **वर्ष 2008–09 में प्रदेश की 5 हजार ग्राम पंचायतों में श्रेष्ठ भारतीय नस्ल के सांडों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजाति के बकरे उपलब्ध कराने हेतु रायपुर में नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की जाएगी।**

13.6 पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधा के विस्तार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 26 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना के लिये भी आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।

सहकारिता

14. किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 में हमारी सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिये जाने वाले कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर को घटाकर सम्पूर्ण भारत वर्ष की न्यूनतम दर 6 प्रतिशत किया गया था। **इसके फलस्वरूप वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 में किसानों को 25 प्रतिशत अधिक कृषि ऋण वितरित हुआ है**। इस योजना के लिये राज्य शासन की ओर से अनुदान बाबत् बजट में 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

14.1 सहकारिता के क्षेत्र में प्रचलित त्रिस्तरीय साख संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा **''बैद्यनाथन समिति''** की अनुशंसायें लागू की गई है, जिससे कृषि साख संरचना के आर्थिक ढांचा के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारी समितियों को केन्द्र तथा राज्य शासन से आगामी 3 वर्षों में 715.14 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा एवं इस हेतु बजट में 75 करोड़ का अनुदान बाबत् प्रावधान किया गया है। समिति की अनुशंसायें पूर्णतः लागू होने से सहकारिता से जुड़े लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

14.2 **अंबिकापुर एवं बालोद शक्कर कारखाना के निर्माण हेतु बजट में 19.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है**।

सिंचाई

15. राज्य निर्माण के पश्चात् अब तक हमने सिंचाई क्षमता में 7 प्रतिशत वृद्धि करते हुये 39 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त किया है। **वर्ष 2008–09 के बजट में अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने तथा नवीन**

योजनाओं के लिये 974 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें नवीन मद के रूप में 149 लघु सिंचाई योजनायें, 72 एनीकट, हसदेव बांगो परियोजना का बांया तट, पैरी योजना का दांया तट, मनियारी जलाशय के मुख्य नहर की लाईनिंग कार्य शामिल हैं। इन नवीन सिंचाई योजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 1.70 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

15.1 इसके अतिरिक्त गत वर्ष प्रारम्भ की गई **केलो वृहद परियोजना तथा घुमरिया, सूखा नाला एवं कर्रा नाला बराज मध्यम परियोजनाओं हेतु इस बजट में 85.40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**।

वन

16. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत भाग वन आच्छादित है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के पश्चात् इन जंगलों में रहने वाले मूल निवासियों को अपनी जमीन के अधिकारों से वंचित होना पड़ा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश के वन क्षेत्र में सदियों से निवासरत **वनवासियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण के लिये इस बजट में 10.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 25 लाख अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी लाभान्वित होंगे**।

16.1 **वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये इस बजट में 570 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष के प्रावधान से 22 प्रतिशत अधिक है**। इसमें बिगड़े बांस वनों के संवर्धन हेतु 20 करोड़ तथा बिगड़े वनों के सुधार हेतु 43 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

16.2 प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जंगली हाथियों से होने वाली जान–माल एवं फसलों की क्षति को रोकने के उद्देश्य से हाथी रहवासी क्षेत्र में विकास के लिये 2 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

16.3 लघु वनोपजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लाख प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवं पुल

17. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में प्रदेश की सड़क निर्माण हेतु 3,196 करोड़ का पूंजीनिवेश किया गया है। **भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि के मापदंड के आधार पर छत्तीसगढ़ को कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के साथ सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दर्जा दिया गया है**। इस बजट में भी अधोसंरचना विकास को समुचित प्राथमिकता दी गई है एवं 406 सड़क, 188 पुल तथा 3 रेलवे अंडर ब्रिज के नवीन कार्य शामिल किये गये हैं, जिनमें रायपुर–बिलासपुर राजमार्ग का उन्नयन प्रमुख है। इसके साथ–साथ अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने के लिये कुल 1,388.29 करोड़ का प्रावधान है। भवन निर्माण हेतु 380 करोड़ तथा अनुरक्षण मद् को मिलाकर **कुल बजट प्रावधान 2,186 करोड़ है**।

17.1 प्रचलित व्यवस्था अंतर्गत प्रदेश के सभी नवनिर्मित पुल जिनकी लागत 30 लाख से अधिक है, में पथकर वसूली की जा रही है। इससे ग्रामीण अंचलों में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदन को यह बताते हुये मुझे प्रसन्नता है कि इस व्यवस्था में संशोधन कर ऐसे पुल जिन पर प्रतिवर्ष 5 लाख तक पथकर की वसूली होती है, उन्हें इस व्यवस्था से मुक्त किया जाएगा।

ग्रामीण विकास

18. राज्य के 3 जिलों रायपुर, दुर्ग एवं जांजगीर–चांपा में भारत सरकार की ''पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि'' योजना लागू नहीं है। **इन जिलों में ''मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना'' के अंतर्गत ग्रामीण अधोसंरचना विकास संबंधी निर्माण कार्य हेतु 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।**

18.1 इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना के लिये 38 करोड़, ग्राम विकास योजना के लिये 18.50 करोड़ तथा हमारा छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ गौरव योजना के लिये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.2 पंचायत कर्मियों के सशक्तीकरण के अंतर्गत उन्हें कम्प्यूटर एवं लेखा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिये बजट में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बेहतर कनेक्टिविटी हेतु 25 मीटर से अधिक लंबाई के पुलों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजनांतर्गत पूर्व में निर्मित सड़कों के रख–रखाव हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नगरीय विकास

19. **ग्रामीण विकास की तर्ज पर प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास संबंधी कार्य हेतु नवीन योजना लागू की जाएगी, जिसके लिये बजट प्रावधान किया गया है।**

19.1 नगरीय विकास के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की ओर से नगरीय निकायों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 करोड़ का प्रावधान है।

19.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना तथा इससे संबंधित अन्य योजनाओं हेतु 361.35 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

उद्योग एवं ग्रामोद्योग

20. प्रदेश में औद्योगिक विकास की बढ़ती हुई मांग को देखते हुये **रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव जिले में 4 नवीन वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास हेतु इस बजट में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है**। इसके अतिरिक्त रायपुर में जेम्स–ज्वेलरी तथा अपेरल पार्क, धमतरी में हर्बल पार्क तथा राजनांदगांव में फूड पार्क की स्थापना हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

20.1 ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने में ग्रामोद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है तथा हमारे प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास एवं विस्तार की अपार संभावनायें है। इसलिये हमारे द्वारा बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों के समग्र विकास हेतु एकीकृत हाथकरघा विकास योजना, चाक प्रदाय योजना, फ्यूजन स्कूल ऑफ ऑर्ट आदि योजनायें संचालित की जा रही है। ग्रामोद्योग के विस्तार एवं विकास हेतु वर्ष 2008–09 के बजट में 41.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ऊर्जा

21. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्यांश के रूप में 26 करोड़ तथा कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु राज्य शासन की ओर से अनुदान मद में 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

21.1 ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन की ओर से अनुदान के मद में 11.62 करोड़ तथा ऊर्जा के अपरम्परागत साधन से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु 15.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

संस्कृति एवं पर्यटन

22. अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने हेतु संकल्प पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने हेतु **इस बजट में ''छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग'' गठन के लिये 1 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**।

22.1 प्रदेश के जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर–चांपा एवं बिलासपुर में नवीन संग्रहालय भवन के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22.2 स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों के अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु रायपुर में ''विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान'' की स्थापना की जाएगी।

22.3 प्रदेश में **नैसर्गिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य में नैसर्गिक पर्यटन के लिये आवश्यक अधोसंरचना के विकास हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है**।

खेल एवं युवक कल्याण

23. प्रदेश में हॉकी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जशपुर तथा रायपुर के कोटा स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस बजट में रायपुर स्थित सुभाष स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सारंगढ़, बसना एवं निमधा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

राजस्व

24. राजस्व प्रशासन में पटवारी अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रदेश में कुल 1300 नवीन पटवारी हलका निर्मित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से अब तक 650 के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है एवं **वर्ष 2008–09 में शेष 650 पटवारी हलकों की स्थापना हेतु 6.06 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**। इसके अतिरिक्त जगदलपुर एवं राजनांदगांव में नवीन पटवारी प्रशिक्षण शाला की स्थापना की जाएगी। किसानों को कम्प्यूटरीकृत भू–अभिलेख प्रदान करने की योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश के 1,578 पटवारियों को कम्प्यूटर उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। इस बजट में शेष 950 पटवारियों को कम्प्यूटर प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। इसके साथ–साथ प्रदेश के पटवारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

24.1 अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी **47 लाख भूमि–स्वामियों को भू–अभिलेख खसरा, बी–1 तथा नक्शे की प्रतिलिपियाँ निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये 2.70 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**।

24.2 राज्य के 10 नगरों क्रमशः रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा एवं जगदलपुर में नजूल भूमि के सर्वेक्षण हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

पुलिस प्रशासन

25. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नक्सल समस्या से निपटने तथा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा पुलिस बल में वृद्धि तथा उनके आधुनिकीकरण के लिये लगातार प्रयास किया गया है। विगत 4 वर्षों में

पुलिस कर्मियों तथा होम गार्ड के बल में लगभग 20 हजार की वृद्धि की गई है, जिसमें 4 नवीन बटालियन एवं नक्सल आतंकवाद से निपटने के लिये स्पेशल टॉस्क फोर्स का एक बटालियन शामिल है। **सदन की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहूँगा कि इस बजट में पुलिस प्रशासन हेतु 589 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि 2003–04 के 290 करोड़ की तुलना में 103 प्रतिशत अधिक है।**

25.1 पुलिस बल के आधुनिक प्रशिक्षण हेतु चंदखुरी, कांकेर एवं सरगुजा में पुलिस अकादमी तथा प्रशिक्षण शालायें स्थापित की गई हैं। इसी कड़ी में होम गार्ड के प्रशिक्षण हेतु रायपुर में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिये 51.25 लाख का बजट प्रावधान है।

25.2 मुंगेली तथा खैरागढ़ में उपजेल निर्माण किया जाएगा। **वर्ष 2007–08 में रायपुर केन्द्रीय जेल में विडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली लागू की गई थी। इस बजट में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के केन्द्रीय जेल अंबिकापुर तथा जगदलपुर में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।**

न्याय प्रशासन

26. न्याय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रदेश में 25 नवीन सिविल न्यायालय स्थापित किये जायेंगे, जिसके लिये 2.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जेंडर बजट

27. **अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकारी देते हुये मुझे हर्ष है कि पहली बार जेंडर बजट पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।** इसके अंतर्गत शतप्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रम तथा कम से कम 30 प्रतिशत महिला

विशिष्ट कार्यक्रम के लिये बजट आवंटन दर्शाया गया है। **प्रायोगिक तौर पर 14 विभागों के लिये जेंडर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है**। हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में सभी विभागों के लिये यह लागू किया जाये।

वर्ष 2007–08 का पुनरीक्षित अनुमान

28. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

28.1 वर्ष 2007–08 में कुल व्यय 15,509.66 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 16,686.59 करोड़ संभावित है। यह वृद्धि मुख्यतः ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' हेतु 554 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान के कारण है।

28.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 13,466.97 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 14,386.52 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन प्राप्ति के कारण है।

28.3 **वर्ष 2007–08 के बजट में अनुमानित राजस्व आधिक्य 1,801.35 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,788.90 करोड़ है**। इस कमी का मुख्य कारण राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्ति में अपेक्षित वृद्धि नहीं होना है। बजट में सकल वित्तीय घाटा का अनुमान 1,566.85 करोड़ था, जो पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 1,765.99 करोड़ अनुमानित है। पुनरीक्षित अनुमान में सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलु उत्पाद का 3.01 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है।

वर्ष 2008–09 का बजट अनुमान

29. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2008–09 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :–

29.1 वर्ष 2008–09 के लिये अनुमानित कुल व्यय 18,285.80 करोड़ है, जिसमें आयोजना व्यय 10,154.51 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय 8,131.29 करोड़ है। **वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में कुल व्यय 1,599.21 करोड़ अर्थात् लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।**

29.2 पूंजीगत व्यय राज्य के विकास का सूचक है। वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान 3,531.62 करोड़ की तुलना में इस बजट में 3,903.46 करोड़ अर्थात् 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है। **पूंजीगत व्यय सकल घरेलु उत्पाद का 6.1 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 21 प्रतिशत अनुमानित है।**

29.3 गत वर्षों में हमारा प्रयास रहा है कि राज्य में विकास की गति तीव्र हो। इस हेतु बजट में आयोजना व्यय के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी गई है, जो कि वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार **आयोजना व्यय, कुल व्यय का 56 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2007–08 की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुये हर्ष है कि आयोजना व्यय का यह प्रतिशत अब तक का सर्वाधिक है।**

29.4 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को नियंत्रित किया गया है। वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान 7,975.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2008–09 में यह 8,113.89 करोड़ अनुमानित है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 2,974.81 करोड़, पेंशन हेतु 836.73 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,153.82 करोड़, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक

सहायता के रूप में 180 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 1,191.28 करोड़ शामिल है। ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात को गत वर्ष के 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।

29.5 **राज्य आयोजना व्यय में वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान 7,658.35 करोड़ की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 9,230.59 करोड़ अनुमानित की गई है**, जिसमें केन्द्रीय सहायता 1,877.34 करोड़ तथा शेष 7,298.84 करोड़ राज्य संसाधन से उपलब्ध करवाया जावेगा। राज्य आयोजना के पोषण में स्वयं के संसाधन में वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2008–09 में 40 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। **अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन प्रतिवेदन अनुसार बजट में विकासोन्मुखी कार्यों पर होने वाले व्यय के मापदंड में छत्तीसगढ़ को बिहार एवं झारखंड के साथ सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दर्जा दिया गया है।**

29.6 राज्य आयोजना में सामान्य क्षेत्र के लिये 53 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 12 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

29.7 बजट में राज्य के आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र के विकास का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। **वर्ष 2008–09 हेतु सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय का 43 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है**, जिसमें मुख्यतः खाद्यान्न सुरक्षा हेतु 4 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 12 प्रतिशत, स्वास्थ्य हेतु 4 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास हेतु 7 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास हेतु 2 प्रतिशत तथा पेयजल हेतु 3 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

29.8 **आर्थिक क्षेत्र के लिये वर्ष 2008–09 में बजट प्रावधान कुल व्यय का 41 प्रतिशत है।** इसमें मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र हेतु 4 प्रतिशत, लोक निर्माण के कार्यों हेतु 12 प्रतिशत, सिंचाई हेतु 5 प्रतिशत़ तथा ग्रामीण विकास हेतु 7 प्रतिशत शामिल है।

29.9 **वर्ष 2008–09 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 15,656.16 करोड़ अनुमानित है, जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2007–08 की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है।** राज्य का कर राजस्व, सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है। राज्य के स्वयं के राजस्व में पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गयी है, जिसमें कर राजस्व में 12 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 13 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। केन्द्र सरकार से प्राप्तियां पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 337 करोड़ अधिक अनुमानित की गयी है।

राजकोषीय स्थिति

30. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्हीं प्रयासों के कारण गत दो वर्षों के समान इस बजट में भी 1,777.54 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।

30.1 राज्य का सकल वित्तीय घाटा 1,911.67 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि सकल घरेलु उत्पाद का 3 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि **विकासोन्मुखी व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद गत वर्षों में सकल वित्तीय घाटा, ''राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम'' में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा है तथा इस बजट में भी इसे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रखने में हम सफल रहे हैं।**

30.2 वर्ष 2008–09 हेतु कुल प्राप्तियाँ 18,231.39 करोड़ तथा कुल व्यय 18,285.80 करोड़ अनुमानित किया गया है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 54.41 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। **वर्ष 2007–08 के संभावित घाटा 765.84 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2008–09 का कुल बजटीय घाटा 820.25 करोड़ अनुमानित है**। इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

भाग–2

31. अध्यक्ष महोदय, राजस्व वृद्धि के लिये विगत वर्षों में हमारी रणनीति कर की दरों में युक्तियुक्तकरण करना, कर प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना एवं कर प्रशासन को चुस्त बनाना रही है, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुये हैं। इस रणनीति से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, वरन् करदाताओं में स्वप्रेरणा से कर अदायगी की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा प्रदेश के वाणिज्य एवं व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

31.1 हमारी यही रणनीति आगे भी जारी रहेगी। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विगत वर्षों की तरह इस बजट में भी हम कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं और न ही कर की दर में बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

वृत्ति कर

32. अध्यक्ष महोदय, वेतनभोगियों को वृत्ति कर दायित्व से पूर्णतः मुक्त करने का हमारा संकल्प रहा है। इसी अनुक्रम में वेतनभोगियों के लिये विगत 4 वर्षों में वृत्ति कर दायित्व से छूट की सीमा 1 लाख वार्षिक वेतन से बढ़ाकर 3.50 लाख तक की गई थी। **सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बजट में वेतनभोगियों को वृत्ति कर दायित्व से पूर्णतः मुक्त किया जायेगा।** इससे लगभग 7.50 करोड़ की राजस्व हानि होगी, लेकिन लगभग 30 हजार वेतनभोगी लाभान्वित होंगे।

वेट

33. आम उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने तथा स्थानीय महत्व की वस्तुओं पर कर से रियायत देने के लिये हमारा प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

- मेंहदी को करमुक्त किया जायेगा।
- खोपरा चूरा पर प्रचलित कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी।
- 150 रुपये मूल्य तक के प्लास्टिक एवं रबर से बने जूते एवं चप्पल को करमुक्त किया जायेगा।
- टीन की पेटी एवं कोठी को करमुक्त किया जायेगा।
- स्थानीय फर्शी पत्थर को करमुक्त किया जायेगा।
- सड़क दुर्घटना से आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट को करमुक्त किया जायेगा।

33.1 अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिये बहुत बड़ी चुनौती है। इसे बढ़ावा देने के लिये ''बैटरी चलित वाहन'' पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी।

33.2 हमारे द्वारा विगत वर्षों में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये अनेक रियायतें दी गई हैं, इसी अनुक्रम में इस बजट में निम्नानुसार रियायतें प्रस्तावित करता हूँ :–

- रेल्वे ट्रैक फिटिंग सामग्री तथा वैनेडियम स्लज को इंडस्ट्रीयल इनपुट की सूची में शामिल करते हुये इस पर प्रचलित कर की दर 12.5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत किया जाएगा।

- सोयाबीन पर क्रय कर समाप्त किया जायेगा।

33.3 अध्यक्ष महोदय, मैं कर प्रक्रिया में निम्नानुसार सरलीकरण प्रस्तावित करता हूँ :–

- छोटे व्यवसायियों को राहत पहुँचाने तथा उनमें कर प्रक्रिया के अनुपालन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिये 40 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम वाले व्यवसायियों के लिये प्रचलित त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था के स्थान पर वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

- अधिक जमा वेट की वापसी 2 वर्ष पश्चात् करने के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, कर निर्धारण एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाकर अधिक जमा कर की वापसी की जायेगी।

- प्रचलित त्रैमासिक विवरण पत्र, वार्षिक विवरणी एवं ऑडिट रिपोर्ट की जटिलताओं को दूर कर इनके स्थान पर नये सरलीकृत फार्म लागू किये जायेंगे।

- छोटे व्यापारियों द्वारा कम्पोजिशन सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की वर्तमान समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 3 माह की जायेगी।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ठेकेदारों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में किये गये वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर स्त्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा।

- पूर्व में प्रचलित वाणिज्यिक कर अधिनियम में व्यवसायियों को आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध था, जो वेट अधिनियम में उपलब्ध नहीं है। इसके फलस्वरूप व्यापारियों को सीधे उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी पड़ती है। अतः वेट अधिनियम में भी राज्य शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान लाया जाएगा।

पंजीयन

34. महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति का पंजीयन कराए जाने की स्थिति में देय मुद्रांक शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

आबकारी

35. वर्तमान में 25 हजार तक की जनसंख्या वाले नगरों में स्थित सिनेमाघर मनोरंजन कर के दायरे से मुक्त है। अब यह छूट 1 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों के लिये लागू होगी।

35.1 पुराने सिनेमाघरों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है, जिसके कारण कई सिनेमाघर बंद होने की कगार पर है। अतः पुराने सिनेमाघरों के जीर्णोद्धार एवं उनके आधुनिकीकरण हेतु एक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत सिनेमाघरों के आधुनिकीकरण में किये जाने वाले व्यय के आधार पर मनोरंजन कर से छूट दी जायेगी।

35.2 छत्तीसगढ़ तम्बाकू अधिनियम, 1939 को निरसित किया जाएगा, जिससे लगभग 60 हजार लघु व्यवसायी सुचारू रूप से व्यापार कर सकेंगे।

36. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मूलभूत अवधारणा ''इनक्लुसिव ग्रोथ'' के प्रति हमारी सरकार हर संभव प्रयास करने के लिये कृत संकल्प है। छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हम सबका साझा दायित्व है। प्रतिपक्ष में बैठे मित्रों की केन्द्र में सरकार है। उनसे मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार पर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुये वे छत्तीसगढ़ के न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा कराने में अपना योगदान दें। इस अपेक्षा के साथ मैं वर्ष 2008–09 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।